भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान
रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ–226 101 (भारत)
ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture
Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow-226 101 (India)
Phone 0522-2841022,2841023,2841024; Fax 0522-2841025
Website: www.cish.res.in; email id: cish.lucknow@gmail.com

फा.सं. 1-15/2016-17/M

दिनांक 27 .12.2016

नीलामी –सूचना

केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेडा के प्रायोगिक प्रक्षेत्र पर आम व अमरूद की सूखी जलौनी लकड़ी वजन लगभग 60 से 70 कुन्तल की खुली नीलामी दिनांक 04.01.2017 को 11.30 बजे संस्थान के द्वितीय प्रखंड पर की जायेगी। जो भी व्यक्ति आम व अमरूद की सूखी जलौनी लकड़ी की बोली लगाने के इच्छुक हो वह इसका निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय काल 4.00 बजे तक फार्म प्रभारी की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं ।

नीलामी की शर्ते निम्न है :–

1. बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति को ₹1,000.00 मात्र धरोहर राशि के रूप में नगद जमा करनी होगी, जो कि नीलामी के उपरान्त सभी असफल बोली लगाने वालो को तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
2. सर्वोच्च बोली बोलने वाले व्यक्ति का प्रस्ताव उचित होने पर ही उस पर विचार किया जा सकेगा।
3. जिस व्यक्ति के नाम बोली स्वीकार होगी उसे बोली की पूर्ण धनराशि उसी समय उपस्थित अधिकारियों के पास जमा करानी होगी। नीलामी की लकड़ी उठाने की अनुमति तभी दी जायेगी जब पूर्ण धनराशि संस्थान के खाते में जमा कर दी जायेगी।
4. नीलाम हुई लकड़ी की देख–रेख की पूर्ण जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी जिसके नाम बोली छूटेगी।
5. उक्त जलौनी लकड़ी उठाते समय संस्थान की किसी भी सम्पत्ति की यदि क्षति होती है तो उसकी भरपाई उस व्यक्ति से की जायेगी जिसके नाम बोली स्वीकृत होगी।
6. जलौनी लकड़ी बाहर ले जाने के लिए गेट पास फार्म प्रभारी से प्राप्त करने के उपरान्त पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक ले जा सकते है।
7. बिना किसी कारण बताए नीलामी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।
8. उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न होने की अवस्था में प्रस्ताव निरस्त समझा जायेगा तथा उनकी जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

27.12.16

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. वित्त एवं लेखा अधिकारी
2. प्रभारी, रहमानखेडा
3. वैयक्तिक सहायक (निदेशक)
4. सूचना पट्ट मुख्यालय / आर बी. रोड कैम्पस / खण्ड प्रथम / द्वितीय
5. आस–पास के सभी गांव को वितरण हेतु ।
6. तहसील, मलिहाबाद
7. प्रभारी, रायबरेली रोड परिसर को छावनी परिषद कार्यालय पर चस्पा करने हेतु।
8. संस्थान की बेबसाइट